कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश होशंगाबाद (म0प्र0)

फोन नं. 07574-253665, ई-मेल dcourthos-mp@nic.in

पृ0क0 216/दो-12-5/87 होशंगाबाद, दिनांक 02.02.2021

आदेशानुसार, सिस्टम ऑफीसर, होशंगाबाद की ओर माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर का ज्ञापन कमांक सी/305/चार-1-1/20(डी.ई.) जबलपुर दिनांक 30.01.2021 की प्रतिलिपि मय सहपत्र सहित :-

01 समस्त न्यायिक अधिकारीगण,

02 समस्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी शासकीय सेवको,

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

03 सिस्टम ऑफीसर, होशंगाबाद की ओर जिले की वेबसाईट पर व व्हाट्सअप ग्रुप से समस्त पीठासीन अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी की ओर सूचनार्थ भेजे जाने हेतु प्रेषित।

04 सहायक लेखापाल होशंगाबाद की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार

जिला रजिस्ट्रार
सिविल कोर्ट होशंगाबाद,(म.प्र.)

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

ज्ञापन

क्रमांक सी/305 /
चार–1–1/20 (डी0ई0)

जबलपुर, दिनाँक 30/01/2021

प्रति,

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
ग्वालियर/उज्जैन (म0प्र0)

विषय :– मध्यप्रदेश के शासकीय सेवकों हेतु विशेष नगद पैकेज योजना का कियान्वयन ।

संदर्भ :– 1. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर का ज्ञापन क्र0 128 दिनांक 19/01/2021

2. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन का ई–मेल ज्ञापन क्र0 757 दिनांक 23/01/2021

– – – – 000 – – – – –

निर्देशानुसार, उपरोक्त संदर्भित विषय में आपका ध्यान मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 28 जून 2019 सहपठित The Madhya Pradesh District Court Establishment (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2016 के नियम 29 की ओर आकर्षित कर निर्देशित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग वल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक एफ/1517/4–01/2020/नियम/चार दि0 28/11/2020 का नियमानुसार पालन कार्यालय प्रमुख एवं सक्षम अधिकारी की हैसियत से सुनिश्चित करें ।

30/01/2

(आर0पी0एस0 चुण्डावत)
रजिस्ट्रार (जिला स्थापना)

.....2.....

पृ0 कमांक सी / 306 /
चार–1–1 / 20 (डी0ई0)

जबलपुर, दिनाँक 30 / 01 / 2021

निर्देशानुसार, प्रतिलिपि, जिला एवं सत्र न्यायाधीश / प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, (म0प्र0 के समस्त) की ओर पालनार्थ प्रेषित ।

संलग्न :– मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग वल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल के आदेश कमांक एफ / 1517 / 4–01 / 2020 / नियम / चार दि0 28 / 11 / 2020 की छायाप्रति

30/01/2021

(आर0पी0एस0 चुण्डावत)
रजिस्ट्रार (जिला स्थापना)

मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग

वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल

क्र./एफ/1517/4-01/2020/नियम/चार भोपाल, दिनांक 28/नवम्बर/2020

प्रति,

अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर
समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मंत्रालय भोपाल
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त जिलाध्यक्ष
मध्यप्रदेश

विषय :- मध्यप्रदेश के शासकीय सेवकों हेतु विशेष नगद पैकेज योजना का क्रियान्वयन।

•••

मध्यप्रदेश राज्य में आर्थिक गतिविधियों को सक्रिय करने एवं कोविड-19 की आपदा के परिदृश्य में उपभोक्ता खपत को बढ़ाये जाने के उदेश्य से मध्यप्रदेश शासन द्वारा शासकीय सेवकों के लिये निम्नलिखित निर्णय लिये जा चुके हैं:-

(1) 7वें वेतनमान के एरियर्स की तृतीय किश्त के 25 प्रतिशत का भुगतान

(2) विशेष त्यौहार पैकेज के अंतर्गत रूपये 10000 का अग्रिम योजना (40000 रूपये या इस से कम कुल वेतन पाने वाले शासकीय सेवकों के लिये)

2. राज्य शासन द्वारा इसी अनुक्रम में अब एक और निर्णय लिया गया है कि शासकीय सेवकों के लिये विशेष नगद पैकेज की योजना को प्रदेश में लागू किया जाये।

3. शासकीय सेवकों के लिये विशेष नगद पैकेज योजना निम्नानुसार क्रियान्वित की जायेगी:-

(i). **पात्रता :** राज्य शासन के नियमित, कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले शासकीय सेवक।

(ii) **प्रतिपूर्ति की अधिकतम पात्रता** : निम्न तालिका के कॉलम 2 में उल्लेखित राशि के 3 गुना राशि की सामग्री/सेवायें क्रय करने पर प्रतिपूर्ति की पात्रता होगी:-

शासकीय सेवक की श्रेणी	**विशेष नगद पैकेज (राशि रूपये में)**
1	2
प्रथम एवं द्वितीय	4000
तृतीय	3000
चतुर्थ	2000

(iii) **क्रय की शर्तें** : पंजीकृत जीएसटी वेण्डर/सेवा प्रदाता से 12 प्रतिशत या अधिक जीएसटी दर के अंतर्गत आने वाली सामग्री/सेवायें जिनका डिजिटल पेमेन्ट किया गया हो।

(iv) **प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया एवं गणना** : शासकीय सेवक उपरोक्तानुसार पात्र सामग्री/सेवायें का क्रय कर उसका देयक तथा डिजिटल पेमेंट का प्रमाण, कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करेगा। देयक अनुसार क्रय की सकल राशि का एक तिहाई अथवा उपरोक्त कंडिका (ii) में पात्रता राशि, जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति की पात्रता होगी।

(v) **प्रतिपूर्ति हेतु दावे** के समर्थन में प्रस्तुत देयक में जीएसटी नंबर एवं जीएसटी भुगतान अंकित हो।

(vi) **योजना की अवधि** : आदेश जारी दिनांक से 31.03.2021 तक। योजनांतर्गत प्रतिपूर्ति हेतु दावा 30.04.2021 तक कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(vii) **स्वीकृतकर्ता अधिकारी** : कार्यालय प्रमुख।

(viii) **व्यय शीर्ष** : वेतन उद्देश्य शीर्ष अंतर्गत विस्तृत शीर्ष 008-अन्य भत्ते

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

28/11/2020

(अखिल कुमार वर्मा)
उप सचिव
म.प्र.शासन, वित्त विभाग

प्रति,

श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश
होशंगाबाद(म.प्र.)

विषय :– मध्यप्रदेश के शासकीय सेवकों हेतु विशेष नगद पैकेज योजना का कियान्वयन।

संदर्भ :– मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल का पत्र क्र./एफ/1517/4–01/2020/नियम/चार भोपाल, दिनांक 28 नवम्बर, 2020 एवं माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर का पृष्ठांकन क्रमांक सी/306/चार–1–1/20(डी.ई.) जबलपुर, दिनांक 30.01.21

महोदयजी,

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में निवेदन है कि शासन की विशेष नगद पैकेज योजना के अंतर्गत मेरी श्रेणी अनुसार मुझे प्रतिपूर्ति करने की कृपा करें। मेरे द्वारा क्रय की गई सामग्री/सेवाओं का पूर्ण विवरण(क्रय का देयक/कैश मेमो एवं डिजिटल भुगतान के प्रमाण प्रति सहित) निम्नानुसार है :–

व्यक्तिगत विवरण			
नाम		पद	
यूनिक कोड		श्रेणी	

क्रय का विवरण			
वेंडर/दुकान का पता			
वेंडर/दुकान का GSTN			
क्रय की राशि			
कैश मेमो नंबर		दिनांक	
चुकायी गयी GST राशि		GST Rate	

संलग्न :–
1– देयक की प्रति,
2– डिजिटल पेमेंट के प्रमाण का प्रिंट

प्रार्थी

.....

पदनाम–
कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश
होशंगाबाद(म.प्र.)